01889
12/05/2017

संख्या /2017/45/XXVII(10)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1—समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2— समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग—10 देहरादूनः दिनांक 05 मई, 2017

विषय— सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा किए गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को सवेकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01—01—2016 को अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 266/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर—12 में प्राविधान किया गया था कि "पुनरीक्षित पेंशन का दिनांक 01 जनवरी, 2017 से नक़द भुगतान किया जायेगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर आगणित पेंशन एवं ग्रेच्युटी की दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की देयता के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन के सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 जनवरी, 2016 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों के पुनरीक्षित प्राधिकार—पत्र के आधार पर पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन, राशिकरण एवं नकदीकरण की देयता के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या 135 /2017/45/XXVII(10)/2016 तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड देहरादून।
2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/क्षितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4— निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5— निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6— निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
7— समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8— प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।